कोशी स्नातक निर्वाचन के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने की ब्रीफिंग, वोटिंग आज

निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान के लिए प्रशासनिक महकमा अलर्ट

कटिहार। डीआरसीसी सभागार में आज जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में 23 को होने वाले मतदान को लेकर सुपर जोनल, जोनल, सेक्टर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण ब्रीफिंग आयोजित की गई ।बैठक में चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नियमों के तहत संपन्न कराने के लिए फुलप्रूफ रणनीति तैयार की गई।

मोबाइल पर पूर्ण रोक- मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है ।चुनाव आयोग की एसओपी (स्हक्क) के तहत केवल वायलेट (बैंगनी) रंग के पेन का उपयोग, मतदाता पहचान पत्रों का सटीक सत्यापन और स-समय मतदान शुरु कराने का निर्देश दिया गया ।डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान करने से पूर्व सभी मतदान कर्मी चेकलिस्ट से सामग्री का अनिवार्य रूप से मिलान करेंगे ।एसपी परिचय कुमार ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी



भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दंडाधिकारी और पुलिस बल आपसी समन्वय से मुस्तैद रहेंगे। ब्रीफिंग में दोनों वरीय अधिकारियों ने पी-1, पी-2 और पी-3 कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करने निर्देश दिया। भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान के लिए जिला प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध है।

स्नातक निर्वाचन को लेकर फलका में तैयारी पूरी, 425 मतदाता करेंगे मतदान

फलका (कटिहार) आससे। बिहार विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 को लेकर फलका प्रखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर कुल 425 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। निर्धारित आंकड़ों के अनुसार फलका प्रखंड में कोशी स्नातक निर्वाचन के लिए कुल 425 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 344 पुरुष तथा 81 महिला मतदाता शामिल हैं। सभी मतदाता प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए एकमात्र मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सन्नी सौरभ ने बताया कि बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन को लेकर प्रखंड स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ।उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में एक मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां कुल 425 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 344 पुरुष और 81 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन का प्रयास है कि मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराया जाएगा।

ईंट भट्ठा संचालकों की मनमानी चरम पर

सरकारी रेट से अधिक दाम पर ईंट बेचकर कमा रहे मोटा मुनाफा

कदवा (कटिहार) आससे। कदवा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों ईंट भट्ठा संचालकों की मनमानी चरम सीमा पर है। सूत्रों का कहना है कि सरकारी रेट से अधिक दाम पर ईंट बेचकर भट्ठा संचालक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।मकान घर बनाने वाले लोगों को महंगे दामों पर ईंट मिलने से उनके सामने संकट के काले बादल छा गए हैं। बावजूद इसके इन ईंट भट्ठा संचालकों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है ।बताया जा रहा है कि सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए ईंट भट्ठा संचालक मनमाने तरीके से प्रति हजार ईंट ग्यारह से पंद्रह हजार रुपये तक बेच रहे हैं। अधिक दाम वसूले जाने से गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों का आशियाना बनाने का सपना अधूरा होता दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से ईंट की कीमतों पर नियंत्रण करने और मनमानी करने वाले भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई की मांग की है।

मां दुर्गा विदाई काल में बांग्लाभाषी समाज ने मनाया सिंदूर खेला का उत्सव

कटिहार। शरद पूर्णिमा की आहट और विजयादशमी के इस पावन मौके पर आज देश भर के पंडालों में एक अद्भुत और भावविभोर कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। मां दुर्गा की विदाई (विसर्जन) से ठीक पहले, बांग्लाभाषी समाज की सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक %सिंदूर खेला% का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया ।पारंपरिक लाल पाड़ की सफेद साड़ियों में सजी महिलाओं ने सबसे पहले मां दुर्गा को सिंदूर, पान और मिष्ठान अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूरा पंडाल %ढाक% की थाप और शंखनाद से गूंज उठा, जहां महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की मंगलकामनाएं कीं ।यह उत्सव केवल एक विदाई नहीं, बल्कि मां



दुर्गा के अगले वर्ष फिर से आने के वादे और अटूट आस्था का प्रतीक है। शुभ विजयादशमी ! अपने शहर के पंडालों की तस्वीरें साझा करें और अपनों को %शुभ विजया% की शुभकामनाएं दें।

मेलाा एवं संस्कृति कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मुख्य पार्षद एवं अनुमंडल प्रशासन ने किया

बनमनखी पूर्णिया (आससे)। बनमनखी अनुमंडल मुख्यालय स्थित श्री राधा कृष्ण ठाकुर बारी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा मेला एवं संस्कृति कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा के सचेतक सह स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, नगर परिषद अध्यक्ष संजना देवी, अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम, थाना अध्यक्ष विजय यादवेन्दु, पूर्व नगर अध्यक्ष विजय साह वार्ड पार्षद ओमप्रकाश अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप



से फिटा काट कर किया गया। मंच संचालन सामाजिक कार्यकर्ता सह सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के मंत्री शिव शंकर तिवारी एवं मंच की अध्यक्षता पूजा समिति के संरक्षक अवधेश कुमार साह के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों को पूजा समिति के द्वारा अंग वस्त्र एवं भूखे प्रदान कर स्वागत किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोफेसर कुमार जी सुप्रसिद्ध गायक ममता शर्मा भजन प्रस्तुत मेला में पुलिस प्रशासन के अलावा एनसीसी कैडेट के जवान , स्वास्थ्य उपचार के लिए अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर एवं उनके सहयोगी उपस्थित हो कर निशुल्क दवाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सह संरक्षक अजय सिंह शिव शिष्य,उपाध्यक्ष दीपचंद यादव प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह, कृष्ण अग्रवाल,युवा अध्यक्ष निशांत सिंह निशु,गोपाल गुप्ता विजय गुप्ता, मोनू अग्रवाल बी सुत्री अध्यक्ष संतोष चौरसिया, रंजीत गुप्ता, लाल बिहारी यादव, वीर नारायण गुप्ता, दिलिप झा, शशि शेखर कुमार, रामचंद्र चौधरी, बबलू साह आदि।

जयनगर में 52 फीट के रावण का दहन पर जय श्रीराम के नारों से गूंजा इलाका

अररिया। भरगामा प्रखंड क्षेत्र के जयनगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में बुधवार को असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण दहन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जयनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों और उत्तरी भाग से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। आयोजकों के अनुसार, इस आयोजन में चार जिलों से लोग शामिल होते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 52 फीट ऊंचा रावण का विशाल पुतला रहा। झारखंड से आए कारीगरों ने इस पुतले का निर्माण किया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जैसे ही रावण के पुतले पर तीर चलाया, वह धू-धू कर जलने लगा। पुतले के जलते ही आतिशबाजी और पटाखों की गूंज दूर-दूर तक सुनाई देने लगी। इस दौरान पूरा कार्यक्रम स्थल %जय श्रीराम% के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ इस पारंपरिक आयोजन का आनंद लिया। आयोजन से जुड़े लोगों ने बताया कि जयनगर में पिछले दस वर्षों से लगातार रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यह कार्यक्रम अब क्षेत्र की एक प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा बन गया है, जिसमें चार जिलों के श्रद्धालुओं की भागीदारी रहती है।

किशनगंज के हनुमान मिल कैंपस से जुड़े कारोबारी पर पूर्णिया में काररवाई

पत्नी और चाचा के खिलाफ दर्ज है शिकायत

किशनगंज (आससे)। करीब 4.89 करोड़ रुपये के कथित कारोबारी विवाद ने अब कानूनी कार्रवाई का रूप ले लिया है। किशनगंज के हनुमान मिल कैंपस से जुड़े राहुल अग्रवाल को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर कारोबारी लेनदेन में 4.89 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने और रुपये की मांग करने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है। इस मामले में राहुल अग्रवाल की पत्नी प्रिया अग्रवाल और उनके चाचा संदीप अग्रवाल का नाम भी शिकायत में शामिल है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

मामले को लेकर पूर्णिया के गुलाबबाग निवासी व्यवसायी शोभित कुमार अग्रवाल ने सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी फर्म बालाजी मशीनरी पान मसाला, रजनीगंधा और तुलसी जर्दा की वितरक है। आरोप है कि 8 जून 2026 को राहुल अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल और संदीप अग्रवाल ने गुलाबबाग स्थित कार्यालय में आरएम वेयर हाउस के लिए इन उत्पादों की खरीद को लेकर बातचीत की थी। इसके बाद 9 और 10 जून को संबंधित वेयर हाउस में माल की आपूर्ति की गई।

शोभित कुमार अग्रवाल का आरोप है कि माल की आपूर्ति के बाद जब बकाया राशि का भुगतान मांगा गया, तो उन्हें लगातार टालमटोल का सामना करना पड़ा। हर बार भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन कथित तौर पर राशि का भुगतान नहीं किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह कई बार बकाया रकम लेने के लिए किशनगंज पहुंचे, लेकिन उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया।

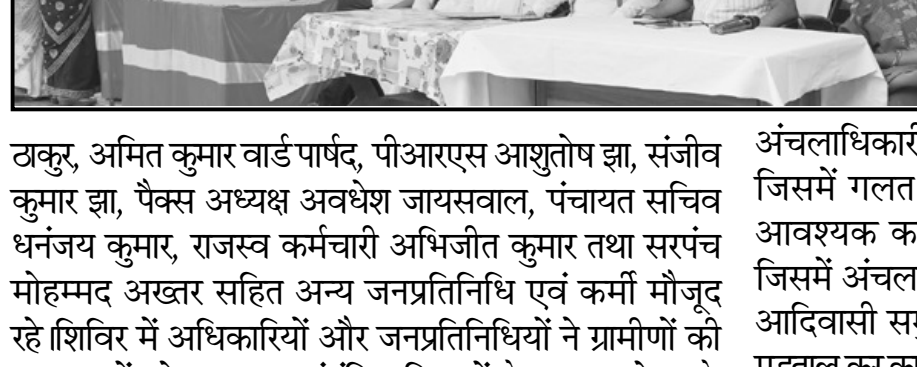
आरोप है कि जब उन्होंने अपने बकाया रुपये के भुगतान के लिए दबाव बनाया, तो राहुल अग्रवाल ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और राशि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यवसायी ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।

शिकायत में व्यवसायी ने कुल 4 करोड़ 89 लाख 18 हजार 697 रुपये बकाया होने का दावा किया है। इतनी बड़ी रकम के कथित कारोबारी विवाद ने मामले को गंभीर बना दिया है। शिकायतकर्ता ने सदर थाना के थानाध्यक्ष से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाने और शिकायत में नामजद लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

फिलहाल, इस मामले में कारोबारी लेनदेन, कथित बकाया भुगतान और जान से मारने की धमकी के आरोप प्रमुख हैं। राहुल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोप अभी आरोप ही हैं; उनकी सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

खेरिया में जन सहयोग शिविर में 102 आवेदनों में 72 का हुआ निष्पादन

कोढ़ा (कटिहार) आससे। ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से खेरिया पंचायत में जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 72 आवेदनों का निष्पादन किया गया, जबकि 30 आवेदन लंबित रहे। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला। शिविर में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, सांख्यिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित 30 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि ग्रामीण विकास विभाग के 10, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 7, श्रम संसाधन विभाग के 5, सांख्यिकी विभाग के 45 और स्वास्थ्य विभाग के 5 आवेदनों का उल्लेख किया गया। हालांकि, विभागवार आंकड़ों और कुल आंकड़े में अंतर होने के कारण अंतिम रिपोर्ट में इनका सत्यापन आवश्यक है ।कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार पंडित, कार्यक्रम पदाधिकारी अजय कुमार, खेरिया पंचायत के मुखिया सोहराब अली, विधायक प्रतिनिधि रमन झा, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रामनाथ पांडे, मनोज



ठाकुर, अमित कुमार वार्ड पार्षद, पीआरएस आशुतोष झा, संजीव कुमार झा, पैक्स अध्यक्ष अवधेश जायसवाल, पंचायत सचिव धनंजय कुमार, राजस्व कर्मचारी अभिजीत कुमार तथा सरपंच मोहम्मद अख्तर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कर्मी मौजूद रहे ।शिविर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभागों के माध्यम से उनके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। ऐसे शिविरों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी कम करना और लोगों को पंचायत स्तर पर ही प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम में रामपुर पंचायत की मुखिया निर्मला हेंब्रम, उपमुखिया सुलेखा कुमारी, उपमुखिया प्रतिनिधि बबलू यादव, अंचलाधिकारी संजीव कुमार झा तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उषा किरण, महिला पर्यवेक्षिका राज श्री चौधरी,पीआरएस मनोज कुमार,सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे जहां आदिवासी समाज से जुड़े भूमि विवाद से संबंधित अंचलाधिकारी को आवेदन सौंपा गया जिसमें गलत मोटेशन को लेकर घंटों आवश्यक कागजात की जांच की गई जिसमें अंचलाधिकारी ने दर्जनों से ऊपर आदिवासी समुदाय को आवश्यक जांच पड़ताल कर कारवाई कराने का भरोषा दिया। वहीं गलत मोटेशन को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच रोश का माहौल देखा गया ।जन सहयोग शिविर के आयोजन से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं को सामने रखने का अवसर मिला। लंबित आवेदनों के निष्पादन पर अब संबंधित आवेदकों की नजर रहेगी, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।

वैष्णवी दुर्गा मंदिर में जय माता दी भंडारा समिति ट्रस्ट ने किया महाभंडारा का आयोजन

कुरसेला (कटिहार) आससे। अयोध्यागंज बाजार स्थित सार्वजनिक वैष्णवी दुर्गा मंदिर में जय माता दी भंडारा समिति ट्रस्ट की ओर से दिया गया महाभंडारा यादगार बना। भंडारा में करीब 21 हजार श्रद्धालुओं के बीच पूरी, बूंदिया, सब्जी, खिचड़ी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी ।भंडारा में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-



अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए अलग से शरबत और पेयजल की व्यवस्था की गई थी ।महाभंडारा का शुभारंभ निगरानी कमेटी और समिति के सदस्यों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद नौ कुमारी कन्याओं का पूजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद वितरण शुरु हुआ ।समिति की ओर से महाशिवरात्रा पर महाभंडारे की यह परंपरा वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में समिति के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

जीविका के सहयोग से आत्मनिर्भर बनीं कृष्णा दीदी, कैंटीन से संवारी परिवार की आर्थिक स्थिति

किशनगंज (आससे)। स्वरोजगार के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहीं ठाकुरगंज की कृष्णा जीविका दीदी आज महिला सशक्तीकरण की एक प्रेरक मिसाल बन गई हैं। कभी परिवार के भरण-पोषण के लिए सीमित संसाधनों पर निर्भर रहने वाली कृष्णा दीदी ने जीविका स्वयं सहायता समूह के सहयोग से अपना उद्यम शुरू किया। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने न केवल उनकी



आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

कृष्णा जीविका दीदी ने बताया कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। समूह के सहयोग से उन्होंने ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय में कैंटीन की शुरुआत की। इस छोटे से उद्यम ने धीरे-धीरे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार दिया। आज इस कैंटीन के माध्यम से चार जीविका दीदियों को रोजगार मिला हुआ है। इससे उन्हें नियमित आमदनी हो रही है और वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जीविका स्वयं सहायता समूह ने उनके जैसी लाखों महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। समूह से मिले सहयोग और स्वरोजगार के अवसर ने महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने तथा आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है। अब महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और दूसरों को रोजगार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कृष्णा दीदी के अनुसार, कैंटीन से होने वाली मासिक आमदनी से परिवार का भरण-पोषण आसानी से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ही महीनों में लाखों रुपये की बचत भी कर ली है। यह बचत उनके लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार बनने के साथ भविष्य में कारोबार को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दे रही है।

कृष्णा दीदी का सफर अभी थमा नहीं है। पहले उद्यम में मिली सफलता से उत्साहित होकर अब वह दूसरी कैंटीन खोलने की तैयारी कर रही हैं। उनका यह कदम कारोबार के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

कृष्णा दीदी की कहानी बताती है कि उचित सहयोग, मेहनत और आत्मविश्वास के सहारे महिलाएं अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिला अवसर उनके लिए आर्थिक स्वावलंबन का जरिया बना है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव की नींव बन सकती है और स्वरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम है।

बिहार सरकार

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सुपौल

फोन नं0-06473-223112 (कार्या0) 06473-224210 (फैक्स)

E-mail : legalsectionsupaul@gmail.com,

E-mail : dm-supaul.bih@nic.in

नामान्तरण पुनरीक्षण/जमाबंदी रद्दीकरण वाद संबंधी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (1) पुनरीक्षणकर्त्ता निर्मली देवी, पति-योगेन्द्र पासवान, साकिन-चकला निर्मली, वार्ड नं0-06, पो0+थाना+जिला-सुपौल के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल के नामान्तरण अपील वाद सं0-167/2025-26 में दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0-29/2026-27 दायर किया गया है।

(2) अपीलार्थी सुधीर प्रसाद, पे0-स्व0 नागेश्वर प्रसाद, साकिन+पो0-कोरियापट्टी, (प0) थाना-जदिया, जिला-सुपौल के द्वारा अपर समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द वाद सं0-58/2024-25, में दिनांक 23.06.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0-08/2026-27 दायर किया गया है।

अतएव कॉलम 05 में अंकित विपक्षी वाद से संबंधित दावा/साक्ष्य के संबंध में यदि कोई सूचना देना चाहते है हो या दावा करना चाहते हो तो उक्त निर्धारित तिथि को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।

नामान्तरण पुनरीक्षण/जमाबंदी रद्दीकरण वाद से संबंधित भूमि की सूची निम्न प्रकार है :-

Sl.	Case No.	Case Type	Petitioner VS Respondent	Address of Respondent	Land Detail	Next Date of Hearing
1	2	3	4	5	6	7
1	29/2026-27	नामान्तरण पुनरीक्षण वाद	निर्मली देवी, बनाम राजेन्द्र सुतिहार एवं राज्य	राजेन्द्र सुतिहार, पिता-स्व0 देव नारायण सुतिहार, साकिन-किशनपुर दक्षिण टोला-फुलकाहा, वार्ड नं0-11, थाना-किशनपुर, जिला-सुपौल	अंचल-सुपौल, मौजा-सुपौल चकला निर्मली, सुपौल नगरपालिका, वार्ड नं0-12(पु0), नगर परिषद्, वार्ड नं0-27 (नया), थाना नं0-217, खाता 99 (नया), खेसरा 1723, रकवा 0-6.550 डी0	26-10-2026
2	08/2026-27	जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद	सुधीर प्रसाद बनाम मल्लो मंडल	मल्लो मंडल, पिता-मिश्री मंडल, सा0+पो0-कोरियापट्टी, (प0), वार्ड नं0-13, थाना-जदिया, जिला-सुपौल	मौजा-कोरियापट्टी, थाना-जदिया, जिला-सुपौल, खाता-777, खेसरा 4407 रकवा 0-18डी0, 0-09डी0, जमाबंदी नं0-4914/1419, 1127	26-10-2026

यदि निर्धारित तिथि को वर्णित वाद में कोई दावेदार या कोई सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते है/कोई दावा नहीं करते है एवं उक्त वाद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वाद के संबंध में एकपक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है।

यदि उपर्यक्त वर्णित भूमि से संबंधित किसी न्यायालय में **अपील/नामान्तरण** दायर किया गया हो या विचाराधीन हो तो इस संबंध में संबंधित पक्ष किसी भी कार्य दिवस को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना दे सकते हैं।

आज दिनांक- 09/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

PR- 014044 (District) 2026-27

समाहर्त्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, सुपौल

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

अत्यावश्यक सूचना

सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार हैः-

(I) आधार कार्ड,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) पैन कार्ड,
(iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,
(vi) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, और
(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।

मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक, पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिये। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्त्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके।

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

(अशोक प्रियदर्शी)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार

PR. No. 014018 (Election) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

अत्यावश्यक सूचना

सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार हैः-

(i) आधार कार्ड,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) पैन कार्ड,
(iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,
(vi) सांसदों/विधायकों/पार्शदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, और
(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।

मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक, पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिये। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्त्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके।

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

(अशोक प्रियदर्शी)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार

PR. No. 014016 (Election) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।